

21-10-20

V

उपखण्ड अधिकारी

श.वि.०/20 पत्रावली पेश हुई। वकील
उपस्थित। वकील वकील ने
पदाकारों के मध्य राजीनामा होने
से प्रकटा में अग्रिम कार्यवाही
नहीं चाही। पत्रावली केवल
शुमार लेकर नम्बर से कम देने।
वकील बफार होवे।

आगे कार्यवाही
नहीं चाहिए
S.H.
H

SDO

0/1